

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

उनवान —सरकार बनाम 1. सचिन पुत्र घूरेलाल, उम्र 24 वर्ष , जाति त्यागी , मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्ट्स , कोलारी , धौलपुर , निवासी नेकपुर , पंचायत दूबरा ,जिला धौलपुर 2. बनवारी पुत्र श्री गोविंदराम, मालिक मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्ट्स , कोलारी , धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/58 एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक —31.07.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त सचिन पुत्र घूरेलाल, उम्र 24 वर्ष , जाति त्यागी , मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्ट्स , कोलारी , धौलपुर , निवासी नेकपुर , पंचायत दूबरा ,जिला धौलपुर एवं बनवारी पुत्र श्री गोविंदराम, मालिक मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्ट्स , कोलारी , धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/58 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.08.2023 को अभियुक्त/अप्रार्थी के दुकान मैसर्स:- गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्ट्स , कोलारी , धौलपुर निरीक्षण के दौरान में स्थित लगभग 1 टिन 15 किलोग्राम रिफाईण्ड पामोलिन तेल को आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त में मिलावट का शक होने पर उक्त रिफाईण्ड पामोलिन तेल को 1.6 किलोग्राम रिफाईण्ड पामोलिन तेल वास्ते नमूना जाँच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त रिफाईण्ड पामोलिन तेल नमूना डी-2915 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जाँच रिपोर्ट एलएस/1041/एक्ट/2023/1086 दिनांक 04.09.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया रिफाईण्ड पामोलिन तेल Contravene regulation no.2.3.15 (1)(b) of food safty and standards (Prohibition and Restrictions on sales) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 58 में वर्णित है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया । जबाब पेश करने से मना किया । अप्रार्थी ने बहस के दौरान अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त रिफाईण्ड पामोलिन तेल Contravene regulation no.2.3.15 (1)(b) of food safty and standards (Prohibition and Restrictions on sales) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी रिफाईण्ड पामोलिन तेल Contravene regulation no.2.3.15 (1)(b) of food safty and standards (Prohibition and Restrictions on sales) बेचने का दोषी है जो धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः श्री सचिन पुत्र घूरेलाल, उम्र 24 वर्ष , जाति त्यागी , मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्ट्स , कोलारी , धौलपुर , निवासी नेकपुर , पंचायत दूबरा ,जिला धौलपुर एवं बनवारी पुत्र श्री गोविंदराम, मालिक मैसर्स गोविंद गोपाल फूड प्रोडक्ट्स , कोलारी , धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के तहत 31,000/-रुपये (इक्कतीस हजार रुपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय भरे जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)